

छुट्टी की पची का फार्म

Form of Application For Leave

(अनुपुरक नियम २१६ देखिये / See supplementary Rule 216)

टिप्पणी - मद सं. १ से १२ प्रत्येक प्रार्थी को भरनी चाहिए चाहे वह राजयत्रित हो या बराजपत्रित ।

Note :- Item 1 to 12 must be filled in by all applicants whether gazetted or non-gazetted.

१. प्रार्थी का नाम
1. Name of applicant
२. लागू होने वाली छुट्टी नियमावली
2. Leave Rules applicable
३. पद
3. Post held
४. विभाग कार्यालय और अनुभाग
4. Department Office and Section
५. वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख
5. Pay and Date of Increment
६. वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया भत्ता सवारी भत्ता या अन्य प्रतिकार भत्ते
6. House rent allowance, conveyance, allowance or other Compensatory allowance drawn in the present post.
७. मांगी गई छुट्टी की किस्म अवधि और उसके शुरू होने की तारीख
7. Nature and period of leave applied for and date from which required.
८. रविवार और छुट्टी के दिन, यदि कोई हो, जिन्हे छुट्टी के पहले बाद में जोड़ना चाहता है ।
8. Sundays and Holidays if any, proposed to be prefixed / suffixed to leave.
९. छुट्टी का कारण
9. Ground on which leave, is applied for
१०. पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख उस छुट्टी की किस्म तथा अवधि
10. Date of return from last leave and the nature and period of that leave.
११. छुट्टी का पता
11. Leave address
१२. मेरा बिचार आगामी छुट्टी में _____ के खण्ड वर्षों के लिये छुट्टी यात्रा की रिवापत्र लेने का है/नहीं है
12. I Propose/do not propose to avail myself of Leave Travel Concession for the block years _____ during the ensuing leave.
१३. (क) मैं वचन देता हु कि औसत वेतन छुट्टी / पनिवतित छुट्टी का अवधि में लिये गये छुट्टी वेतन और आधे औसत वेतन/आधे वेतन की छुट्टी मिलने वाले वेतन के अन्तर की उस रकम को वापस कर दूंगा जो छुट्टी की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान मेरे सेवा निवृत्त होने की स्थिति में गूल नियम ८१ (घ) (ii) संशोधित छुट्टी नियमावली १९३३ के नियम ११ (iii) के लागू न होने पर अनुमत्य न होनी ।
13. (a) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay/commuted leave and that admissible during leave on half average half/pay leave which would not have been admissible had the provision of F R 81 (b) (ii) rule 11(c) (iii) of the Revised Leave Rules 1993 not been applied in the event of my retirement from service at the end or during the currency of the leave.
१३. (ख) मैं वचन देता हुं कि मेरे स्वेच्छा से निवृत्त होने या सेवा से त्यागपत्र देने तक मैं कम से कम आधे वेतन की उतनी छुट्टी अर्जित न कर सके जितनी अग्रिम छुट्टी मैंने ली है तो मैं अग्रिम छुट्टी के दौरान जो मूल नियम ८५ (ग) संशोधित छुट्टी नियमावली १९३३ के नियम ११(घ) के लागू व किये जाने पर मुझे न मिल पाती, मिले छुट्टी के वेतन को वापस कर दूंगा ।
13. (b) I undertake to refund the leave salary drawn leave not due I'which would not have been admissible had F.R. 81 (c) Rules 11 (d) of the Revised Rules 1933 not been applied in the event of my voluntary retirement of resignation from service of any time, Until I earn half pay leave not less than the amount of leave not due availed of by me.

तारीख
Date _____

हस्ताक्षर
Signature of Applicant _____

१४. नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी और/या सिफारिश

14. Remark and/or recommendation of the controlling Officer

तारीख
Date _____

हस्ताक्षर
Signature _____

पदनाम
Designation _____

छुट्टी की अनुमत्यता के बारे में प्रमाण पत्र
Certificate Regarding Admissibility of Leave
(राजपत्रित अधिकारीओं के सम्बन्ध में महालेखाकार द्वारा)
(By Accountant General in the case of gazzetted officers)

१५. प्रमाणित किया जाता है कि _____ से
तक _____ दिन के लिये _____ नियमावली के नियम _____
के आधिन _____ अनुमत्य है ।

16. Certified that _____
(Nature of leave)
for _____ from _____ to _____
(period)
is, admissible under rule _____ of the Rules _____

तारीख
Date _____

हस्ताक्षर
Signature _____

पदनाम
Designation _____

१६. स्विकृती पानेवाले अधिकारी के आदेश :-

16. Order of the sanctioning authority :-

तारीख
Date _____

हस्ताक्षर
Signature _____

पदनाम
Designation _____

* यदि प्रार्थी को कोई प्रतिकार भत्ता मिलता हो तो मंजूरी देने वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिए कि छुट्टी पूरी होने पर प्रार्थी उस पर या किसी ऐसे पद पर लौटने की आशा है या नहीं जहां इसी प्रकार का भत्ता मिलता है ।

* If the applicant is drawing any Compensatory allowance, the sanctioning authority should state whether on the expiry of leave he is likely to the same post or to another post carrying a similar allowance.